राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या– 1396 / 2015..................................जिला.......पाली..

उनवान– प्रभुराम पुत्र नारायण राम सरगरा, निवासी–बस्सी जिला पाली बनाम राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर(मुद्रांक)पाली व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.02.2016	एकलपीठ श्री मनोहर पुरी–सदस्य प्रार्थी निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्री वी.के.पारीक एवं अप्रार्थी संख्या एक की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी. ओझा उपस्थित। प्रार्थी के अभिभाषक की ओर से विद्ड्रा करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 17.02.2016 प्रस्तुत किया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 12.01.2016 के अनुसार राशि जमा कराना चाहता है इसलिए प्रार्थी को बकाया राशि जमा कराने का आदेश प्रदान किया जाना अत्यधिक आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जांवे एवं न्याय हित में प्रार्थी को उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार राशि जमा कराने की शर्त पर निगरानी को विद्ड्रा करने की आज्ञा प्रदान करे। इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को विद्ड्रा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है। फलस्वरूप प्रार्थी निगरानीकर्ता जरिये अभिभाषक द्वारा पत्रावलीं पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत निगरानी **विद्ड्रा** करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 1396 / 2015 / पांली जरिये (Withdrawal) खारिज की जाती हैं। आदेश सुनाया गया। 17.02.2016 (मनोहर पुरी) सदस्य	